

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)
समस्तीपुर

कार्यालय आदेश संख्या - 43/NG/2021/Engg/SPJ


श्री मिन्दु शर्मा, पुत्र श्री राम श्रेष्ठ शर्मा, TM-III, जीपी- 1900, लेवल-01 (पदावनत पद TM-IV, जीपी- 1800, लेवल-01) अधीन सिसेई/पीवे/अनुग्रह नारायण रोड, डीडीयू मंडल/पूर्व मध्य रेलवे एवं श्री मनोज कुमार, पुत्र श्री भुटाली चौधरी, ट्रैकमेन्टेनर-IV, जीपी- 1800, लेवल-01 अधीन सिसेई/पीवे/जनकपुर रोड, समस्तीपुर मंडल/पूमरे, के साथ डीडीयू मंडल के पत्र सं०- रथा०/इंजी०/ट्रैकमैन/अं०मं०पा०स्थानां०/मुगल०/2019-20, दिनांक- 02.09.2020 तथा इस मंडल के पत्र सं०- का/283/ईजी०/ज०वि०प्र०/अं०मं०/पार.स्था./सम०/2020, दिनांक 25.11.2020/01.12.2020 के द्वारा अन्तर मंडलीय पारस्परिक स्थानान्तरण स्वीकृत है।

श्री मिन्दु शर्मा, डीडीयू मंडल के कार्यालय आदेश संख्या:- ECR/ENGG/IDMT/2019-20 Dated 03.02.2021, द्वारा विरमित होकर इस कार्यालय में पदस्थापना हेतु दिनांक 05.02.2021 को रिपोर्ट किये हैं, को ट्रैकमेन्टेनर-IV जीपी- 1800, लेवल-01 के पद पर न्यूनतम वरियता पर सिसेई(पीवे)/जनकपुर रोड के अधीन पदस्थापित किया जाता है।

उक्त स्थानान्तरण पारस्परिक अनुरोध पर है अतः इन्हें स्थानान्तरण पर मिलने वाली कोई भी सुविधा देय नहीं है।

श्री मनोज कुमार, पुत्र श्री भुटाली चौधरी, ट्रैकमेन्टेनर-IV, जीपी- 1800, लेवल-01 अधीन सिसेई/पीवे/जनकपुर रोड, समस्तीपुर मंडल/पूमरे को जल्द से जल्द विरमित कर इस कार्यालय को भेजे ताकि उन्हें डीडीयू मंडल हेतु विरमित किया जा सके।

श्री मिन्दु शर्मा का फोटो, हस्ताक्षर एवं बांये अंगूठे का निशान अधोहस्ताक्षरी द्वारा अभिप्रमाणित है।



Mintu Sharma.



(रतन राकेश लकड़ा)
मकाधि

कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
समस्तीपुर

सं०- का/283/ईजी०/ज०वि०प्र०/अं०मं०/पार.स्था./सम०/2020

दिनांक 05.02.2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मरेप्र(कार्मिक)/डीडीयू मंडल/पूर्व मध्य रेलवे - कृपया उपरोक्त कर्मचारी का सेवा अभिलेख एवं LPC विधिद्वारा परान्त इस मंडल को अविलम्ब भेजे।
2. वमई(समन्वय)/समस्तीपुर।
3. वमविप्र./समस्तीपुर।
4. समई(प्रथम)/दरभंगा
5. सिसेई(पीवे)/जनकपुर रोड - कृपया कर्मचारी का योगदान देने संबंधी सूचना इस कार्यालय को दे।
6. मुकार्याधी/इंजी० संवर्ग- कृपया उक्त कर्मचारी का अन्य आवश्यक कारवाई सुनिश्चित करे।
7. मुकार्याधी/इंजी० बिल
8. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू, ओबीसी एवं अजा-अजजा एशो०/सम० मंडल।
9. संबंधित कर्मचारी- समई(प्रथम)/दरभंगा के यहाँ रिपोर्ट करे।
10. अभिलेख हेतु।

कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)

समस्तीपुर
मंडल कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर